राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप / जय / AS&FE /   / CRC Grant दिशा–निर्देश / 2025–26 /   दिनांकः–

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2025–26

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में संकुल संदर्भ केन्द्र (**CRC**) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह–शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

कन्टेजेन्सी	मीटिंग एवं टीए	योग
10,000/-	10,000/-	**20,000/-**

समग्र शिक्षा अन्तर्गत **सत्र 2025–26 में 11305** सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. **<u>कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट</u>** से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीड़िंग, इन्टरनेट पोर्टल, आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
2. **<u>मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस</u>** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।

(B) मॉनीटरिंग –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2025–26 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से 15 फरवरी तक
40%	30%	30%

RajKaj Ref No.: 15709453

4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(C) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश –

1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति0 जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः **क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।**
4. मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
5. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र–3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
6. जिला / ब्लॉक / संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक / पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

RajKaj Ref No.: 15709453

प्रपत्र –1 A-1

ब्लॉक .... **जिला ....**

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में प्राप्त संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) राशि रू. .... का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि........................ है।

क.सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र –2 A-2

कार्यालय ब्लॉक .... **जिला ....**

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC .... को सत्र 2025–26 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क.सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/सीबीईओ
....

RajKaj Ref No.: 15709453

प्रपत्र –3 A-3

जिला ....

जिला स्तरीय संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में **संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान** मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... सीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

परिशिष्ट– 1

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2025–26

S. No.	District	Contingency Grant @ 0.10 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.10 (Rs. in lacs)		Total Financial Recurring in lac
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	240	24.0000	240	24.0000	**48.0000**
2	ALWAR	325	32.5000	325	32.5000	**65.0000**
3	BALOTARA	255	25.5000	255	25.5000	**51.0000**
4	BANSWARA	391	39.1000	391	39.1000	**78.2000**
5	BARAN	238	23.8000	238	23.8000	**47.6000**
6	BARMER	393	39.3000	393	39.3000	**78.6000**
7	BEAWAR	173	17.3000	173	17.3000	**34.6000**
8	BHARATPUR	222	22.2000	222	22.2000	**44.4000**
9	BHILWARA	393	39.3000	393	39.3000	**78.6000**
10	BIKANER	331	33.1000	331	33.1000	**66.2000**
11	BUNDI	195	19.5000	195	19.5000	**39.0000**
12	CHITTAURGARH	308	30.8000	308	30.8000	**61.6000**
13	CHURU	318	31.8000	318	31.8000	**63.6000**
14	DAUSA	273	27.3000	273	27.3000	**54.6000**
15	DEEG	196	19.6000	196	19.6000	**39.2000**
16	DHAULPUR	185	18.5000	185	18.5000	**37.0000**
17	DIDWANA-KUCHAMAN	229	22.9000	229	22.9000	**45.8000**
18	DUNGARPUR	332	33.2000	332	33.2000	**66.4000**
19	GANGANAGAR	344	34.4000	344	34.4000	**68.8000**
20	HANUMANGARH	277	27.7000	277	27.7000	**55.4000**

RajKaj Ref No.: 15709453

परिशिष्ट– 1

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2025–26

S. No.	District	Contingency Grant @ 0.10 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.10 (Rs. in lacs)		Total Financial Recurring in lac
21	JAIPUR	573	57.3000	573	57.3000	**114.6000**
22	JAISALMER	147	14.7000	147	14.7000	**29.4000**
23	JALOR	296	29.6000	296	29.6000	**59.2000**
24	JHALAWAR	261	26.1000	261	26.1000	**52.2000**
25	JHUNJHUNU	352	35.2000	352	35.2000	**70.4000**
26	JODHPUR	440	44.0000	440	44.0000	**88.0000**
27	KARAULI	241	24.1000	241	24.1000	**48.2000**
28	KHAIRTHAL-TIJARA	163	16.3000	163	16.3000	**32.6000**
29	KOTA	178	17.8000	178	17.8000	**35.6000**
30	KOTPUTLI-BEHROR	204	20.4000	204	20.4000	**40.8000**
31	NAGAUR	260	26.0000	260	26.0000	**52.0000**
32	PALI	274	27.4000	274	27.4000	**54.8000**
33	PHALODI	219	21.9000	219	21.9000	**43.8000**
34	PRATAPGARH (RAJ.)	235	23.5000	235	23.5000	**47.0000**
35	RAJSAMAND	206	20.6000	206	20.6000	**41.2000**
36	SALUMBAR	152	15.2000	152	15.2000	**30.4000**
37	SAWAI MADHOPUR	201	20.1000	201	20.1000	**40.2000**
38	SIKAR	394	39.4000	394	39.4000	**78.8000**
39	SIROHI	171	17.1000	171	17.1000	**34.2000**
40	TONK	246	24.6000	246	24.6000	**49.2000**
41	UDAIPUR	474	47.4000	474	47.4000	**94.8000**
	TOTAL	**11305**	**1130.5000**	**11305**	**1130.5000**	**2261.0000**

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / AS&FE / CRC Grant/2025–26 / **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
7- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद, जयपुर।
8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11- समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
12- रक्षित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : Commissioner
Date :06-06-2025 01:07:28

RajKaj Ref No.: 15709453